International Journal of Applied Research 2021; 7(10): 215-218

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 215-218
www.allresearchjournal.com
Received: 07-08-2021
Accepted: 09-09-2021

लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

घरेलू कामगार महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

लक्ष्मी कुमारी

प्रस्तावना

शहरी मध्यवर्गीय जीवन में ''घरेलू कामगार महिलाओं'' की बुनियादी भूमिका है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण असंख्य परिवार यह महसूस कर रहे हैं कि 'काम करने वाली दाई' के बिना उनका घरेलू जीवन बहुत ही कठिन हो गया है, लेकिन उनकी यह मुश्किल घरेलू कामगारों से बड़ी नहीं है।

लॉकडाउन ने घरों में जाकर काम करने वाली महिलाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये महिलाएं अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को लेकर चिंतित हैं। वैसे तो सामान्य समय में भी हमारा राज्य और समाज इनके काम को ना तो कोई मूल्य देता है और न ही इज्जत। आज तो महासंकट का समय है, ऐसे समय में उनकी कौन परवाह करेगा।

घरों में काम करने वाली महिलाएं अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरी क्षेत्रों में जाती हैं और वहां घरों में झाड़ू–पोंछा इत्यादि का काम करती हैं। ये गरीब महिलाएं समाज के निचले तबके से आती हैं। वंचित समुदायों एवं निम्न आय वर्ग समूहों से इनका ताल्लुकात होता है। अतः ऐसी महिलाएं रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाने को विवश होती हैं। मोटे तौर पर यह पार्ट टाइम, फूल टाइम और कार्य स्थल पर रहकर काम करती हैं। इनका काम है, घर की साफ–सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े–बर्तन धोना, बच्चों को संभालना,स्कूल जाने वाले बच्चों को बस तक पहुंचाना और फिर इन बच्चों को रिसीव करना, बाजार से सामान लाना, बीमार एवं वृद्धों की देखभाल करना, बागवानी का काम देखना इत्यादि।

नगरीकरण एवं शहरीकरण ने रोजगार का सृजन किया है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों से लोगों का पलायन हुआ है। संयुक्त परिवार टूटने लगे। अमूमन शहरों में पति–पत्नी दोनों ही काम करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एवं विभिन्न तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य–सा हो गया है। ऐसी स्थिति में घरेलू कामगारों की मांग लगातार बढ़ रही है। घरेलू कामगार के तौर पर काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं हीं होती हैं। इन्हें नौकरानी का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं के श्रमशक्ति की एक बड़ी आबादी बिना कामगार का दर्जा पाए काम करने को मजबूर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में उनके काम को गैर उत्पादक कामों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें काम का वाजिब मेहनताना नहीं मिलता है। यह नियोक्ताओं के मनमर्जी पर निर्भर करता है या बाजार में जो इन्हें मजदूरी दी जाती है, वही प्राप्त होता है।

घरों में काम करने वाली महिलाओं के प्रति नियोक्ताओं का व्यवहार नकारात्मक होता है। अपमानजनक संबोधन, छुआछूत, चोरी का आरोप, वेतन कटौती, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा एवं कभी–कभी यौन उत्पीड़न की घटनाएँ भी घटित होती हैं। लेकिन यहाँ बताना यह भी आवश्यक है, जैसा कि कामगार महिलाओं ने बताया है कि सभी घर ऐसे नहीं होते हैं। उन्हें सम्मान भी मिलता है। उन्हें आण्टी एवं दीदी के संबोधन से भी पुकारा जाता है। बिना ठोस कारण के वेतन कटौती नहीं की जाती है। यौन उत्पीड़िन जैसी कोई बात कभी नहीं घटती है।

साक्षात्कार के दौरान इन्होंने बताया है कि इनकी दिनचर्या बहुत लम्बी और थकाउ होती है। इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है। यह सबसे बड़ी समस्या है। काम के अत्यधिक बोझ के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि घरों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इनके हितों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। सरकारी असंवेदनशीलता के कारण ये अभाव एवं बदतर हालातों में जीने को मजबूर हैं।

कोविड–19 के कारण घरों में काम करने वाली महिलाएं लॉकडाउन के पश्चात् नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

कोरोना वायरस के बाद हमारे सामाजिक और कामकाजी व्यवहार में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। निश्चित हीं घरेलू कामगारों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। सरकार एवं समाज को इस दिशा में सोचने की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन ने घरेलू कामगारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है एवं तरह–तरह के दुर्व्यवहारों को ये झेलने को विवश हैं।

कोरोना विश्व भर में एक महामारी के रूप में फैल चुकी है। इस महामारी की चपेट में तकरीबन सभी देश आ गए हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो महामारियाँ पहले भी हमारे सामने आ चुकी हैं लेकिन कोरोना की प्रकृति, इसका व्यवहार और विस्तार बाकी महामारियों से बिल्कुल अलग है। यह वायरस बड़ी बेफिक्री और विस्तृत रूप से दुनियाभर में फैल रहा है और सम्पूर्ण मानव जाति को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है।

इस महामारी का बुरा प्रभाव सभी देशों के समाजों पर पड़ रहा है। भारतीय समाज पर इसका असर अलग–अलग रूप में सामने आया है। उदाहरण के तौर पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण और घरेलू हिंसा।

कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को रोकने के लिए कई चरणों में लॉकडाउन का एलान किया जा चुका है। इसका प्रभाव यह हुआ कि शहरों के कामगार वापस अपने घरों की ओर पलायन करने को विवश हो गए हैं। इनका जीवन दैनिक मजदूरी पर हीं निर्भर है। अब ऐसे में सबकुछ बन्द हो जाने से तथा रोजगार समाप्त हो जाने से इन लोगों का जीवन संकटों से घिर गया और लोग बीमारी से कम परन्तु भूख से ज्यादा परेशान हैं।

हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसकी आर्थिक मार समाज के गरीब वर्गों पर भारी पड़ने लगी है। घरों में काम करने वाले पुरूष एवं महिलाएं, विशेष रूप से जो शहरों में हैं, डर के साये में जी रहे हैं।

35 वर्षीय एक महिला जो घरेलू मदद के रूप में काम करती हैं। घरों में बर्तन और फर्श साफ करती हैं एवं बच्चों के देखभाल का काम करती हैं, उन्हें इस बीमारी के खत्म होने तक काम पर नहीं आने को कहा गया है। अधिकांश परिवारों ने इन्हें काम पर आने से मना कर दिया है। घर के मालिकों ने सामाजिक दूरी रखने के उपायों के तहत ऐसा किया है। सभी ने घर के दरवाजों पर ताला जड़ दिया है। किसी के भी आने की मनाही है। सभी अपने–अपने घर में कैद हैं। पूरे पर्यावरण में दहषत का माहौल है। यह अनुमान लगाना मुष्किल है कि इस महामारी का प्रभाव कितने समय तक रहने वाला है। इसतरह घर में काम करने वाली महिलाओं को आजीविका का नुकसान हो रहा है। ऐसी महिलाएँ कम से कम चार घरों में काम करती हैं। इनकी आमदनी 6000–7000 रूपए माहवार की है। कोविड–19 की वजह से ये अपना वेतन खो देती हैं। उनकी घरेलू आमदनी पर गम्भीर असर पड़ा है। उन्हें घर के मालकिनों द्वारा आसानी से यह कह दिया गया कि उन्हें काम पर अब नहीं आना है। इसतरह इनका माहवारी वेतन बन्द हो चुका है। इनकी दयनीय हालत पर चर्चा करना बहुत हीं कठिन है।

इसप्रकार कोविड–19 वायरस के वजह से और लॉकडाउन लागू होने के बाद घरेलू कामगार महिलाओं की आर्थिक स्थिति नाजुक बन चुकी है। सामाजिक भेदभाव के साथ–साथ ये वर्ग सरकार की उदासीनता से भी प्रताड़ित है।

लॉकडाउन के बाद देष में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। फैक्ट्रियों में मजदूर लौट रहे हैं। दफ्तरों में काम करने वाले लोग पुनः काम पर वापस हो रहे हैं। वायरस का खौफ लोगों के जेहन में है। हमारे घरों में झाड़ू–पोछा, बर्तन और खाना बनाकर गुजर बसर करने वाली लाखों महिला कामगारों को उन्हीं घरों में वापस लौटना पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है। अनलॉक के बाद भी लोगों ने उन्हें पूरी तरह काम पर नहीं बुलाया है।

मीना 15 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर गया शहर में आकर बसी थी। एक बेहतर जिंदगी बिताने के इरादे से किराए पर एक मकान लिया और जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए घरों में झाड़ू–पोछा तथा खाना बनाने का काम शुरू किया।

लॉकडाउन लगा तो मालिकों ने काम पर बुलाना बंद कर दिया। एक उम्मीद थी कि लॉकडाउन हटेगा। फिर से काम मिलेंगे। लॉकडाउन धीरे–धीरे हटाए जा रहे हैं। कई महीने बीत गए हैं। कई पुराने मालिकों ने काम पर वापस रखने से मना कर दिया है। दूसरे जगह काम मिल रहे हैं, लेकिन कम मजदूरी पर। जीवन भी गुजर बसर करना है। मकान का किराया बाकी है। एक–एक पाई के लिए मोहताज हैं, ऐसा यह कहती हैं। दो बेटियां हैं। इनका ब्याह भी करना है। बेटियों की शादी बिना पैसे के संभव है ही नहीं। कर्ज के बोझ तले भी यह दबी हुयी हैं।

ये बताती हैं कि घरों में काम करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव भी बहुत होता है। इन घरेलू कामगार महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अजीब तरह का भेदभाव शुरू हुआ है। कार्यस्थल पर घरों के लोग ऐसे पेश आते हैं, जैसे कोरोना का पहला स्त्रोत वे हीं हैं। घर में प्रवेश करते हीं सेनेटाइजर, मास्क के प्रयोग के बावजूद अछूत जैसा महसूस कराया जाता है। कई घरों में तो पहले नहाकर काम शुरू करना पड़ता है। यह भी बताया गया है कि कामगार महिलाओं को अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है। चीजों को छूने पर पाबंदी लगाई जाती है। भेदभाव का यह व्यवहार गरीब महिलाओं को प्रभावित कर रहा है।

रीना कहती हैं कि पांच महीने का किराया बाकी है। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। किराया कहां से भरा जाए। चारों तरफ मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। मकान मालिक किराया मांगते वक्त बदतमीजी से पेश आता है। काम और पैसा नहीं होने की बात पर वो कहीं से भी इंतजाम करने का दबाव डालता है।

घरों में काम करने वाली कामगार महिलाएं कहती हैं कि कम मजदूरी, मालिकों का भेदभाव, मकान मालिकों की दादागिरी और परिवार के अन्य सदस्यों का बेरोजगार होने से संकट बढ़ गया है। इस दर्द को इनकी आंखों में देखा जा सकता है। इस दर्द को कहीं दर्ज भी नहीं किया जा रहा है।

जो महिलाएं घरों में जाकर काम करती हैं, वे संगठित समूह नहीं हैं। यह कोई दबाव समूह नहीं हैं। इनमें सरकार को मजबूर करने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई समर्थन होना हीं चाहिए। सरकार को सैनिटाइजर और मास्क देना चाहिए। उन्हें हाथ के दस्ताने भी मिलने चाहिए। ऐसा होने से वायरस के फैलने की संभावना पर नियंत्रण लग सकता है।

घरों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या देश भर में करोड़ों में है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद घरेलू कामगार महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए कोई कानून तक नहीं है। घरेलू कामगार महिलाओं की स्थिति को दो तरह से समझा जा सकता हे। पहला, कोरोना से पैदा हुई परिस्थिति और दूसरा, आजादी के बाद से अब तक इस समूह को सरकारों द्वारा नजरअंदाज करना। जो सुरक्षा कानून अभी बना हुआ है वो इनके लिए किसी काम का नहीं है।

कामगार महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके मकान का किराया माफ किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा बैंक में सीधे पैसे उनके नाम पर ट्रांसफर किए जाने चाहिए। वैसे, सरकार का यह कथन है कि 80 करोड़ गरीब परिवारों को कोरोना के कारण मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कई महिलाओं ने यह बताया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशन प्राप्त हो रहा है और कई ने नहीं मिलने की शिकायत की है। कई महिलाओं ने कहा कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्पष्टतः यह देखा गया है कि ये महिलाएँ अनपढ़ होती हैं। ये अनस्कील्ड होती हैं। इनके पास किसी तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं होता है। इनके लिए घरेलू कार्य करना सरल है। इन कार्यों को करने से इन्हें किसी भी तरह की

समस्या महसूस नहीं होती है। किसी प्रकार की सामाजिक असुरक्षा का सामना भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये जिस पारिवारिक वातावरण को अपने परिवार में छोड़ कर जाती हैं, वही पारिवारिक माहौल उन्हें कार्यस्थल पर मिल जाता है।

हमारा अध्ययन घरों में काम करने वाली महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करता है। समाज की इस वर्ग की महिलाओं पर अध्ययन काफी कम हुए हैं। इस अध्ययन में 'गया शहर' में निवास करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया गया है। ये गरीब महिलाएं इस शहर के तंग व गन्दी बस्ती में रहती हैं। एक छोटे–से घर में इनका पूरा परिवार रहता है।

अध्ययन के उद्देश्य

अब तक किये गये अध्ययनों के पुनरावलोकन से यह पता चलता है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के संबंध में कोई उल्लेखनीय अध्ययन नहीं किया गया है और न हीं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए शासकीय अथवा अशासकीय स्तर पर कोई खास प्रयास किए गए हैं।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कोरोना काल में घरों में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं को सामने लाना है। निम्नलिखित इनके उद्देश्य हैं:–

1. घरेलू कामगार महिलाओं की सामान्य जानकारी ज्ञात करना।
2. आर्थिक एवं व्यावसायिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
3. कार्य स्थल पर इनके साथ होने वाले व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
4. कोविड–19 में महिला कामगारों ने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस किया है।

उपकल्पनाएं

1. घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं गांवों से शहरों की ओर पलायन करती हैं, इसलिए उनका परिवार एकाकी होता है।
2. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनके रहन–सहन का स्तर निम्न होता है।
3. आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण ये अपने जीवन एवं अपने बच्चों की देखभाल सही रूप से कर सकती हैं।
4. घरेलू महिला कामगार वायरस से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित हैं।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन को तर्कसंगत बनाने के लिए 160 महिलाओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है। सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति की सहायता से उनके विचारों को तथ्यों के रूप में इकट्ठा किया गया है। अध्ययन की समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन का प्रयोग किया गया है जबकि द्वैतियक स्रोत में मुख्यतः संबंधित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं की मदद ली गई है। तथ्यों का प्रस्तुतीकरण विभिन्न सारणियों के माध्यम से रखने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या 1: उत्तरदात्रियों की वैयक्तिक तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का परिदृश्य

1	**जाति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
	पिछड़ी जाति	18	11.25
	अत्यंत पिछड़ी जाति	65	40.62
	अनुसूचित जाति	68	42.5
	सामान्य वर्ग	09	9.33
2	**आयु**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
	युवा	79	49.37
	अधेड़	62	38.75
	वृद्ध	19	11.87
3.	**शैक्षणिक स्थिति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
	अशिक्षित	132	82.5
	प्राथमिक	17	10.62
	माध्यमिक	11	6.87
4.	**मासिक आय**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
	4000–5000	40	25.0
	5001–6000	38	23.75
	6001–7000	33	20.62
	7001–8000	25	15.62
	8001–10000	24	15.00
5.	**वैवाहिक स्थिति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
	अविवाहित	28	17.5
	विवाहित	104	65.0
	विधवा	17	10.62
	परित्यक्ता	11	6.87

प्रस्तुत शोध अध्ययन में घरेलू कामगार महिलाओं की जाति से संबंधित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 11.25 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 40.62 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ी जाति, 42.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5.62 प्रतिशत सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत है जो घरों में जाकर काम करती हैं।

सारणी में महिलाओं की आयु संबंधी जानकारी से स्पष्ट है कि तीन अवस्थाएं महिलाओं की बताई गई है। युवा, अधेड़ एवं वृद्ध। इन महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 49.37 प्रतिशत, 38.75 प्रतिशत एवं 11.87 प्रतिशत है।

शैक्षणिक स्थिति के संबंध में यह ज्ञात हुआ है कि 82.5 प्रतिशत अशिक्षित, 10.62 प्रतिशत प्राथमिक एवं 6.87 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं।

मासिक आय के संबंध में यह ज्ञात हुआ है कि 25.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की व्यक्तिगत आय 4000–5000 है, 23.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की मासिक आय 5001–6000 है। 20.62 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की आय 6001–7000 के मध्य है। 7001–8000 के मध्य 15.62 प्रतिशत एवं 15.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की मासिक आय 8001–10000 तक है।

वैवाहिक स्थिति के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, वह यह है– 17.5 प्रतिशत अविवाहित, 65.0 प्रतिशत विवाहित, 10.62 प्रतिशत विधवा एवं 6.87 प्रतिशत परित्यक्ता हैं।

सारणी संख्या 2: क्या कार्यस्थल पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है?

उत्तर विकल्प	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	105	65.62
नहीं	55	34.37
कह नहीं सकते	–	–
योग	160	100.0

65.62 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह बताया है कि कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनका जाति पूछा जाता है जिस बर्तन में उन्हें चाय व नाश्ता दिया जाता है, उस बर्तन को अलग रख दिया जाता है। इन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने नहीं

दिया जाता है। वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत उन्हें नहीं दी जाती है। आज की स्थिति तो और भी बुरी है। हमें इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे कोरोना महामारी के वाहक हैं। घर में रखे चीजों को छूने पर पाबंदी लगाई जाती है। सभी लोग उनसे दूरी बनाकर रहते हैं। अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। 34.37 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने अपना विचार उपर्युक्त प्रश्न के विपक्ष में प्रस्तुत किया है। सभी उत्तरदात्रियों ने प्रश्न का जवाब दिया है।

सारणी संख्या 3: अभिमत

क्र.सं.	अभिमत
(i)	घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं गांवों से शहरों की ओर पलायन करती हैं, इसलिए उनका परिवार एकाकी होता है।
(ii)	कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके रहन–सहन का स्तर निम्न होता है।
(iii)	आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण, ये अपने जीवन एवं बच्चे की देखभाल सही रूप से कर सकती हैं।
(iv)	घरेलू महिला कामगार, कोविड–19 के वायरस से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित हैं।
(v)	यह महामारी एक दूसरे के छूने से फैलती है।
(vi)	वित्तीय असुरक्षा का दबाव महसूस करती हैं।
(vii)	कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं?

उपरोक्त कुछ प्रश्नों के संबंध में घरेलू कामगार महिलाओं से मत व विचारों को प्राप्त किया गया है। शोध के इन प्रश्नों में उपकल्पना से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं। सारणी संख्या–3 का ;पद्ध प्रश्न के संबंध में 63.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने पलायन से संबंधित सवाल पर उत्तरदात्रियों की स्वीकारोक्ति है। इनका कथन है कि गांवों में जब काम नहीं होता है या जब खेती का सीजन नहीं रहता है तो बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए या आजीविका के लिए गरीब श्रमिक परिवार शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। पलायन में मूलतः आर्थिक स्थिति का कमजोर होना कारण है। महिलाओं के शिक्षा भी नहीं होती है और न उनके पास कोई अन्य कौशल होता है। महिलाओं के पास रोजगार के बहुत कम विकल्प हैं। इन्हें केवल एक हीं काम आता है। घर के कामों में परिवार को मदद करना। ये अपने घर के मर्दों को सहयोग देने के लिए और तय मंथली इनकम के द्वारा गृहस्थी को संभाल देती हैं। आर्थिक असुरक्षा की परिस्थिति में अपने पति या बेटी को आर्थिक योगदान देकर परिवार को संबल प्रदान करती है। उनके परिवार के एकाकी होने का यह अहम कारण है। सारणी संख्या–3 का ;पपद्ध प्रश्न है– कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनके रहन–सहन का स्तर निम्न होता है। 100 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी है। वे आर्थिक रूप से पूरी तरह असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में रहन–सहन या किसी अन्य सुविधा के विषय में सोचना ही बेवकूफी है। कैसे जीवन चले, यही सबसे बड़ी समस्या है। सारणी संख्या–3 का ;पपपद्ध प्रश्न है– आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण ये अपने जीवन एवं अपने बच्चों की देखभाल करने, स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं निर्णय करने का अधिकार रखती हैं। महिलाओं का कामकाजी होना महिलाओं को जागरूक बनाता है। खुश रहने की ताकत इन्हें आत्मनिर्भरता से मिलती है। महिला के कामगार होने से मर्दों की अकड़ ढीली पड़ जाती है। आर्थिक उपार्जन महिला को परिवार में दबदबा कायम करने में मदद करता है। इस प्रकार 61 प्रतिशत चयनित घरेलू कामगार महिलाओं ने उपरोक्त प्रश्न पर 'हाँ' कहा है। सारणी संख्या– 3 का ;पअद्ध प्रश्न है घरेलू महिला कामगार कोविड–19 के वायरस से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित हैं? 49.00 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है। लेकिन, परिचित होना और पालन करना दोनों अलग–अलग चीजें हैं। लापरवाही और कुतर्क के कारण सावधानियों का अनुपालन इनके द्वारा नहीं की जाती है। सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इनके पास तरह–तरह के जाहिल तर्क हैं। इस विषय पर इन्हें समझाना एक कठिन कार्य है। सारणी संख्या–3 का ;अद्ध प्रश्न है कि कोरोना महामारी एक दूसरे के छूने से फैलती है, इस संबंध में केवल 19.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का जवाब 'हाँ' के पक्ष में प्राप्त हुआ है जबकि यह सर्वविदित है कि यह महामारी एक दूसरे के छूने से फैलती है। यह संक्रमिक करने वाली अदृश्य दुश्मन है जिसने पूरे मानव समाज को तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया है। यही कारण है कि सभी लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं और अकेलापन व अवसाद के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ–साथ इस बीमारी के कारण अन्य बीमारियों के बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। सारणी संख्या– 3 का ;अपद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या आप वित्तीय असुरक्षा का दबाव महसूस करती है या नहीं? 100 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने प्रश्न के पक्ष में अपनी सहमति प्रदान की है। अन्तिम प्रश्न कोरोना वैक्सीन के संबंध में है। 39.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने वैक्सीन लिया है और 61.0 प्रतिशत ने जो बताया है वह अशिक्षा व कुतर्क से भरा जवाब है। हाँ, वैक्सीन लेने और आराम करने के नाम पर झूठ बोलकर छुट्टिया ली गई हैं।

अन्ततः यहाँ यह कहना आवश्यक है कि कोविड–19 के संक्रमण ने समाज के सभी हिस्से एवं वर्ग को प्रभावित किया है। लोगों में डर पैदा किया है। नकारात्मक सोंच और असुरक्षा के भाव से सभी तनाव में हैं। वित्तीय स्थिति ने सभी को डर एवं चिंता की मनोस्थिति में रखा है। जहां तक घरेलू कामगार महिला का संबंध है, इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हुई है तथा इस महासंकट ने इनकी मनःस्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। धीरे–धीरे कोविड के साथ जीने की आदत डाली जा रही है। लेकिन, सबके मन में एक प्रश्न है कि आगे क्या होगा, कब तक कोविड रहेगा?

संदर्भ सूची

1. चांग, जी और अब्रामोवित्ज, एन (2000), डिस्पोजेबल डोमेस्टिकः वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रवासी महिला श्रमिक। कैम्ब्रिजः साउथ एंड प्रेस
2. डिसूजा ए. (2000), घरेलू कामगारों के लिए अच्छे काम की ओर बढ़नाः ILO के काम का अवलोकन वर्किंग पेपर 2/2010, पीपी
3. हेइटलिंगर, ए. (1979), घरेलू श्रम और श्रम शक्ति के प्रजनन का मार्क्सवादी सिद्धान्त, लंदनः पालग्रेव मैकमिलन
4. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1951), घरेलू श्रमिकों के रोजगार की स्थिति
5. लुत्ज, एच. (2002), आपकी सेवा में मैडम। घरेलू सेवा का वैश्वीकरण।
6. ओलेज, एम. (2011), घरेलू कामगार, नीति संक्षेप नंबर।
7. राजस्थान घरेलू मदद के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है (2016), द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 जुलाई 2017
8. राव, जे. (2017), भारत में घरेलू श्रम का आकलन करना, यूनिसेफ, 4 जुलाई 2017
9. एन. बधावन (अक्टूबर 2013), डोमेस्टी सिटी में रहनाः झारखण्ड में घरेलू काम के लिए महिलाएं और पलायन
10. जगोरी (जनवरी 2010), घरेलू कामगारों पर एक रिपोर्टः दिल्ली में अंशकालिक घरेलू कामगारों की स्थिति अधिकार और जिम्मेदारियां।